न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

(जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 224/2008
GCMS NO. : 2008/00089

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. महेन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह जाति– राजपुरोहित साकिन		1. गोविन्द सिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपुरोहित साकिन– बासनी तहसील– रायपुर हाल– बापू विस्तार प्लॉट नं० 387 पाली। 2. नारायण सिंह पुत्र प्रतापसिंह 3. घनश्याम सिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपुरोहित साकिन– बासनी तहसील– रायपुर जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.10.10.2018

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री घनश्याम सिंह पुरोहित अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 08/03/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण में वादी की माता श्रीमती गवरीदेवी के नाम से वादी द्वारा ली रामाकिशन जी से खरीद सुदा भूमि खसरा नम्बर 239 रकबा 10–05 बीघा सुखी की बेरी के पहले काश्त कब्जा सुदा स्थित है जिस पर पिछले 35–36 साल से कब्जा वादीगण का ही चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उस जमीन से कोई संबंध या सरोकार नहीं है। जमीन माताजी के नाम खरीदकर उनके नाम म्युटेशन करवा दी। नकल खातेदारी गवरीदेवी पत्नी श्री प्रतापसिंहजी के नाम की पेश है। अभी श्रीमती गवरीदेवी का स्वर्गवास 22.09.2007 को हो गया तब उसके बाद प्रतिवादीगण के जमीन खसरा नम्बर 239 वादीगण की होनें का लिखकर देने को कहा ताकि फौतेदगी म्युटेशन वादीगण के नाम भरवाया जा सके परन्तु प्रतिवादीगण ऐसा करनें से आनाकानी करते व जमीन के मालिक बनना चाहते है व कहते है कि चूंकि माताजी के नाम जमीन थी अतः वो भी हक लेगें काफी समय तक इंतजार किया परन्तु कल फिर कहने पर भी वादीगण की जमीन होनें बाबत् लिख देनें से मना कर दिया। वादी ने उनके जीवन काल में माताजी से शपथ पत्र(नोटेरी) से तस्दीक सुदा तारीख 18.07.2001 करवा लिया [illegible] जा वादी की निजी व खरीद सुदा है। नकल शपथपत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र [illegible] 2007 का साथ पेश है। वादीगण ने जमीन से ऋण लेकर उपर लागत [illegible] उपजाऊ बना[illegible] ता है परन्तु बगेर खातेदारी के ऋण भी सरकारी व गै[illegible] सरकारी संस्था[illegible] नहीं मिल सकता–असल दस्ताब होते ही पेश किया जायेगा। अभी भी वादीगण की तिल्ली, बाजरी व हरिया की बोई हुई फसल खड़ी है जिसमें भी दखलदांजी भी धमकिया देते है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। प्रतिवादीगण की नियत खराब है व वादीगण की जमीन में दखलंदाजी का आमादा है व कल काट ले जाने की भी धमकी दी व अगर ऐसा किया तो वादी को असीम क्षति होगी व विविध केस बाजी होगी अतः दावा करना जरूरी हो गया। बिनाया दावा माताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद जमीन वादी के नाम कराने से इंकार करने पर व कल तारीख 03.10.2008 को फसल काटकर ले जाने की धमकी दी तब बमुकाम जैतारण में उत्पन्न हुआ जो की अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्दसिंह पुत्र प्रतापसिंह द्वारा हस्तलिखित एवं न्यायालय को सम्बोधित प्रार्थनापत्र से वादपत्र के पैरा अनुसार दिनांक 05.03.2009 को जवाब प्रस्तुत किया जिसे सा0मि0 किया गया। जिसमें यह कथन किया है कि मेरे पिता श्री प्रतापसिंह जी के जीवनकाल गांव बासनी एवं जैतारण में जमीन क्रय की गई थी। श्री रामाकिशन ब्राह्मण से क्रय जमीन का भुगतान श्री हीरसिंह ने किया होगा। जैतारण में रामाकिशन से खरीदशुदा जमीन हीरसिंह को दे दी जावें तो मुझे कोई एतराज नहीं है एवं मै रामाकिशन से क्रयशुदा जमीन पर अपना हक छोड़ता हूं। मेरे स्वर्गीय माताजी द्वारा लिखित वसीयत एवं शपथपत्र के विषय में मुझे कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है फिर भी अगर मेरे स्वर्गीय माताजी द्वारा कोई वसीयत आदि की गई है तो उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वसीयत के अनुसार कार्यवाही की जावें। अतः रेवन्यू अधिनियम कानून के तहत कार्यवाही करवानें का श्रम करावें। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं या जरिये अधिवक्ता उपस्थित नहीं होनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सम्मन तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो सामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 03 ने जवाब दावा में कथन किया है कि महेन्द्र प्रजापत अधिवक्ता द्वारा इस प्रकरण में वकालतनाम पेश किया गया है कि मात्र हरिसिंह जी की ओर से ही पेश किया गया है, नही महेन्द्रसिंह का वकालतनामें में नाम है न ही महेन्द्रसिंह के वकालतनामें पर हस्ताक्षर है न ही उसके वादपत्र पर हस्ताक्षर है। इस प्रकार बिना वकालतनामें के वाद पेश कर, महेन्द्र सिंह के नाम से न्यायालय से कपट करते हुए, डिक्री प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, जो कि न्यायालय के साथ कपट करने की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थीति में भी यह वाद पोषणीय नहीं है। श्री महेन्द्र सिंह की ओर से कोई वकालतनामा ही पेश नहीं किया गया है, ऐसे में बिना वकालतनामा के पैरवी करना न्यायालय के साथ कपट है। उपरोक्त अनवान के प्रकरण में वादी हीरसिंह जी के साथ महेन्द्र सिंह द्वारा वाद पेश किया गया है और उस वाद का मुख्य आधार खसरा नम्बर 239 सरहद मौजा जैतारण में अ[illegible] को खातेदार घोषित किये जाने का वाद पेश किया है। उक्त वाद में वादी [illegible] खातेदार है। न उसके नाम म्यूटेशन भरा गया है। दादी [illegible] जमीन में किसी तरह का हक व अधिकार महेन्द्र सिंह को प्राप्त नहीं हो जाता है, जो सम्पति माता, दादा, चाचा, भाई इत्यादि से प्राप्त हुई है, वह पैतृक सम्पति नही है। हीरसिंह जी का देहान्त हो चुका है, इसलिए महेन्द्र सिंह को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। इसलिए यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

दावा पोषणीय नहीं होने से काबिले खारिज के है। जो वाद पत्र पेश किया गया है, उस वाद पत्र में मुख्य रुप से गवरी देवी द्वारा शपथ पत्र को आधार बनाया गया है। केवल मात्र शपथ पत्र से किसी को राईट टाईटल क्रिएट नही होते है। शपथ पत्र अपने आप में कोई साक्ष्य नहीं है। शपथ पत्र पर जिरह का अवसर जब तक नहीं मिलता है। उसे साक्ष्य में पढा ही नहीं जा सकता है। वह रजिस्टर्ड दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्यों को वादीगण द्वारा न्यायालय से छुपाया गया है। जैसे गवरी देवी का शपथ पत्र जो कि वादी हीरसिंह जी ने सिविल कोर्ट में हीरसिंह बनाम नगरपालिका के प्रकरण में पेश कर स्वयं हीरसिंह जी ने न्यायालय में हुए सशपथ बयानों में प्रदर्श करवाया है, जिसमें यह तथ्य अंकित है कि ''शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि हीरसिंह ने ब्राहमण वाली जमीन बाबत मेरे अंगूठे दस्तखत कराये है, वो गलत है, तथा गलत धोखे से कराये है।'' जो उनका (हीरसिंह जी का) एडमिशन न्यायिक एडमिशन है। उसमें अंकित तथ्यों को भी वादीगण ने माननीय न्यायालय से छुपाया है। इसलिए महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने के एकमात्र आधार पर, साफ-सुथरे हाथों से न्यायालय में नहीं आने पर, यह दावा काबिले खारिज के है। इस वाद में मुझ प्रतिवादी द्वारा 151 सीपीसी का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उसके जवाब में वादी हीरसिंह जी ने स्वीकार किया है वह घनश्याम सिंह को उसके हिस्से की जमीन देने को तैयार है। जो एडमिशन न्यायालय के समक्ष किया गया है, जो न्यायिक एडमिशन की श्रेणी में आता है।. इस आधार पर भी यह वाद क़ाबिले खारिज के है। हीरसिंह जी ने जो वादपत्र पेश किया है, जिसको पेश करने का अधिकार उन्हें नहीं था। विकल्प में यह भी निवेदन है कि वादीगण के रुप में केवल मात्र श्री हीरसिंह जी के साथ श्री महेन्द्र सिंह जी को ही वादी बनाया गया है। जबकि हीरसिंह जी के अन्य वारिसान भी है। उनके पुत्र पुत्रीया भी है। उन्हें पक्षकार नहीं बनाया जाने से वाद काबिले खारिज के है। पक्षकार नहीं बनाया जाने से भी वादी का वाद काबिले खारिज के है। गवरी देवी के अन्य पुत्र पुत्रीयां भी है। और वे आवश्यक पक्षकार है और उन्हें महेन्द्र सिंह ही वादी के रुप में प्रस्थापित किये जाने का कोई कारण या दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। इस आधार पर भी वाद काबिले खारिज के है। वादी हीरसिंह जी ने माननीय न्यायालय के समक्ष आदेश 6 नियम 5 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र का जवाब दिया था। जिसमे उन्होंने विशेष विवरण में जो बात लिखी है उसके अनुसार भी उनका यह न्यायिक एडमिशन है कि प्रतिवादी घनश्याम सिह उनका भाई है। जो उनका न्यायक एडमिशन है और गवरी देवी का पुत्र होने से उक्त सम्पति में हिस्सा पाने का अधीकारी है। गोविन्द सिंह जी ने अपना जो जवाब पेश किया है, उसमें स्पष्ट रुप से पैरा संख्या 1 में यह कहा है कि ''मेरे पिता श्री प्रतापसिंह जी के जीवनकाल में गांव बासनी में व जैतारण में जमीन क्रय की गई थी।'' इस एडमिशन से यह स्पष्ट साबित होता है कि वादी हीरसिंह जी जो यह कथन लेकर के आये है कि खसरा नम्बर 239 सरहद मौजा [illegible] उनके द्वारा क्रय की गई है, पूर्णतया मिथ्या साबित होता है। [illegible] जीवनकाल में गवरी देवी ने अपने स्वयं की कमाई से [illegible] की जाने से, उनकी स्वअजित सम्पति होने से, गवरी देवी द्वारा अपनी स्वेच्छा [illegible] किसी को भी देने का अधिकार है, और गवरी देवी ने जरिये लिखीत के आधे हिस्से में घनश्याम सिह व आधे हिस्से में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

हीरसिंह के पुत्र के नाम लिखत कर देने से उक्त लिखत के आधार पर हीरसिंह जी का पुत्र व घनश्याम सिंह आधी-आधी जमीन के खातेदार व मालिक रहते है। प्रतिवादी श्री गोविन्द सिंह जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि मै अपना हक छोड़ता हूँ, व श्री नारायण सिंह जी इस प्रकरण में उपस्थित ही नहीं हो रहे है व गवरी देवी के अन्य पुत्रीया मोहन कंवर व कमला कंवर है, यदि वे सब अपने हकों का परित्याग कर देती है तो उस परिपेक्ष में भी खसरा नम्बर 239 की जमीन अकेले हीरसिह जी मालिक नही बन जाते है। वादी हीरसिंह व प्रतिवादी घनश्याम सिंह इस जमीन के आधे-आधे हिस्से के हकदार है। इस प्रकरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार भी जुड़ा हुआ रहता है कि वादीगण द्वारा किस प्रकार न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्य छुपाते हुए व बिना किसी आधार के विना वकालतनामें के माननीय न्यायालय से एक प्रकरण में डिक्री भी करवाई है, और उस डिक्री को चुनौति भी दी गई है। उक्त वादपत्र में जो मु.नं. 31/94 उमिला बनाम धनसिंह के नाम से चलकर निस्तारित हुआ है उसमें न तो उमिला के हस्ताक्षर थे, न वकालतनामा था। उस वाद पत्र में महेन्द्र सिंह के जो हस्ताक्षर है, हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के रेकर्ड पर जो महेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर है, वे उससे पूर्णतया भीन्न है। उक्त डिक्री न्यायालय से कपट करते हुए हुए प्राप्त की, और कपट से प्राप्त की गई डिक्री के आधार पर आर.एफ.सी. से अवैध ऋण की कार्यवाही की थी। जिसका वाद न्यायालय में लंबित है। इस प्रकरण में श्री गोविन्द सिंह जी द्वारा 11.11.2008 का हस्ताक्षर युक्त जवाब माननीय न्यायालय में दिनांक 05.03.2009 को पेश किया गया है, और उस जवाब पर गोविन्द सिंह जी को आईडेन्टीफाई के रुप में श्री प्रहलाद सिंह जी अधिवक्ता के हस्ताक्षर करवाये गये है। यहां यह उल्लेख करना जरुरी है कि माननीय श्री प्रहलाद सिंह जी वकील साहब मुकदमा नम्बर 31/1994 में महेन्द्र सिह, गजेन्द्र सिंह व योगेन्द्र सिह की ओर से अधिवक्ता थे। और उक्त प्रकरण में भी उन्होने वादी हीरसिंह जी व प्रतिवादीगण से मिलकर डिक्री करवाई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादीगण येन केन प्रकरण इस वाद में भी डिक्री प्राप्त कर उक्त सम्पति के अकेले मालिक बनना चाहते है। जो विधि द्वारा नही बन सकते है। इस प्रकरण में दावा करने से पूर्व इस प्रकरण में तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर है, तथा राज्य सरकार प्रतिनिधि है, आवश्यक पक्षकार है, जबकि न ही उसे पक्षकार बनाया है, तथा राज्य सरकार के विरुद्ध वाद पेश करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आज्ञापक होता है, इस कारण वाद काबिले खारिज के है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई कॉज ऑफ एक्शन ही उत्पन्न नहीं होने से वाद काबिले खारिज के है। प्रतिवादी घनश्याम सिंह द्वारा वादी श्री हीरसिंह जी को यह कहा गया कि खसरा नम्बर 239 सरहद मौजा जैतारण की जमीन गवरी देवी की स्वअजित सम्पति होने से आप अकेले मालिक नहीं हो सकते है। उनसे पूर्व में जो शपथ पत्र दिनांक 18.07.2001 को लिखवाया गया है। उसका खंडन गवरी देवी ने अपने दुबारा शपथ पत्र के जरीये कर दिया है। उक्त शपथ पत्र को श्री हीरसिंह जी ने हीरसिंह बनाम नगरपालिका के [illegible] जरीये प्रदर्श करवाया है, जो उनका एडमिशन है। इसके अलावा गवरी देवी ने आपसी लिखत भी कर दिया है। इसलिए आप वादी हासिंह जी व प्रतिवादी घनश्याम सिंह के नाम आधी आधी जमीन का म्यूटेशन भरवाने हेतु सहमति दे, जिस पर उन्होंने सहमति से इन्कार कर दिया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

और यह मिथ्या कथनों पर वाद पेश कर दिया। जो वाद पत्र पेश किया गया है उसमें अधिवक्ता महेन्द्र प्रजापत के हस्ताक्षर नहीं है। यद्यपि प्रस्तुतीकरण महेन्द्र प्रजापत के नाम का है। और जो वाद पत्र के साथ जो हीरसिह जी का शपथ पत्र पेश हुआ है वह शपथ पत्र वादी के अधिवक्ता श्री महेन्द्र प्रजापत द्वारा ही तस्दीक किया गया है, जो कि व्यवसायिक दुराचरण की श्रेणी में आता है। मुकदमा नम्बर 51/97 उमिला बनाम जयसिंह के प्रकरण में श्री हीरसिंह जी, महेन्द्र सिह, योगेन्द्र सिंह के अधिवक्ता रहे है। उनकी ओर से जवाब पेश हुआ है। और श्री महेन्द्र प्रजापत एडवोकेट उक्त प्रकरण में व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में महेन्द्र सिंह व योगेन्द्र सिंह की ओर से आज भी पैरवी कर रहें है। यह आश्चर्य की बात है कि श्री महेन्द्र प्रजापत ने अपनी व्यवसायिक एथिक्स को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए मुकदमा नम्बर राजस्व मूल 80/10 सुरेन्द्र सिह बनाम घनश्याम सिह के प्रकरण में बतौर वादी के अधिवक्ता की हैसियत से पेश किया है। जिसमें वादी सुरेन्द्र सिंह व महेन्द्रसिंह है, और जिसमें प्रतिवादी के रुप में श्री योगेन्द्र सिंह को पक्षकार बनाया है, जिसमें जबकि मुकदमा नम्बर राजस्व मूल 51६97 में वे प्रतिवादी महेन्द्रसिंह, योगेन्द्र सिह के अधिवक्ता हीरसिंह जी के साथ रहे है, और आज भी अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में पैरवी कर रहे है, जो कि व्यावसायिक दुराचरण की श्रेणी में आता है। महेन्द्र प्रजापत का यह भी एक तथ्य सामने आया है कि वे माननीय विधीमंत्री भारत सरकार व माननीय विधीमंत्री राजस्थान सरकार के यहा नोटेरी का आवेदन किया था, और माननीय सचिव महोदय को अपने आवेदन पेश कर साक्षात्कार दिया है। जबकि नोटेरी एक्ट के तहत एक अधिवक्ता जिसने कि नोटेरी का आवेदन किया है, उसके नतीजा आने से या 6 माह में अन्य किसी के यहा आवेदन नहीं किया है। इस तथ्य को दोनों ही सचिव महोदयों से छुपाया है, इस प्रकार महत्वपूर्ण तथ्य उन्होने राजस्थान सरकार व भारत सरकार से छुपाकर अपने लिये अवैध लाभ प्राप्त किया है, जो भी व्यवसायिक दुराचरण में आता है। अधिवक्ता महेन्द्र जी प्रजापत द्वारा पुनाराम बनाम शिवसिंह के प्रकरण में न्यायालय एमजेएम कोर्ट में शीविसिंह के अधिवक्ता रहे थे। और वादी तेजाराम जो कि महेन्द्र जी के समाज के है। श्री महेन्द्र जी ने उक्त प्रकरण में प्रतिवादी शिवसिंह के कायम मुकाम की ओर से पैरवी करते हुए वादीगण के पक्ष में वाद डिक्री कराने के आशय से जानबूझकर प्रतिवादी की साक्ष्य नहीं करवाई। इस बाबत प्रतिवादीगण ने अपीलीय न्यायालय इस बिन्दु को भी उठाया है कि श्री महेन्द्र प्रजापत एडवोकेट जैतारण ने उक्त प्रकरण में वादी का वाद प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री हो जायें, इस आशय से प्रतिवादीगण को उक्त प्रकरण में साक्ष्य में आने की कोई सूचना नहीं दी। परिणामस्वरुप वादी का वाद डिक्री करवाने में सहयोग किया यह है कि श्री महेन्द्र प्रजापत जो कि मुकदमा नम्बर 31/94 उर्मिला बनाम धनसिंह के वाद की जो डिक्री कपट से प्राप्त की गई है, उसका अभी भी समर्थन कर रहे है। जो कि उनके है। जो [illegible] व्यवसायिक दुराचरण की श्रेणी में आता है। व्यवसायिक दुराचरण की श्रेणी [illegible] सिंह जी का नाम हाथ से लिखा हुआ है, न्यायालय की कॉपी में [illegible] उसके अलावा जो वाद की कॉपी जो घनश्याम सिह को मिली थी, उसमें महेन्द्र सिंह [illegible] सम्पति को महेन्द्र सिंह पैतृक सम्पति के रुप में क्लेम नहीं कर सकता है। इस प्रकरंण खसरा नम्बर 239 की जमीन गवरी देवी के खातेदारी की है, महेन्द्र सिंह के नाम की कोई खातेदारी नहीं है, और महेन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सिंह का इस आधार पर भी वाद काबिले खारिज के है। वकील श्री महेन्द्र प्रजापत जिन्हें कि कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी भी है, और प्रकरण का निस्तारण समय पर नहीं हो। ऐसा उनका प्रयास रहा है। परन्तु व जानबूझकर उन दस्तावेजों को व तथ्या को छुपा रहे है। ताकि विवाद लंबित रहें। पर भी वाद काबिल खारिज के है। अतः इन प्रारम्भिक आपत्तियों के आधार पर वाद काबिले खारिज के है। वादपत्र के पद संख्या में लिखे तथ्य इस हद तक स्वीकार है कि खसरा नम्बर 239 की जमीन गवरी देवी की खातेदारी की है। एवं प्रतिवादी घनश्याम सिंह की कब्जा सुदा है। परन्तु उक्त जमीन रामाकिशन जी ब्राह्मण से बाहाद्वारा खरीदे जाने का तथ्य पूर्णतया गलत होने से विशिष्ट रुप से अस्वीकार है। तथा उस जमीन में वादीगण के अलावा प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नहीं है, तथा 35-36 सालों से वादीगण का कब्जा चला आने का कथन पूर्णतया गलत होने से विशिष्ट रूप से अस्वीकार है। उक्त सम्पति गवरी देवी की स्वअजित सम्पति होने से उसके वारिसान प्रतिवादी घनश्याम सिह होने से आधी-आधी 05.05 बीघा जमीन के खातेदार बन जाता है। पद संख्या 2 में दिनांक 22.09. 2007 को गवरी देवी का देहान्त होने का तथ्य स्वीकार है परन्तु उक्त जमीन में वादीगण का हक व अधिकार होने की बात पूर्णतया गलत होने से विशिष्ट रुप से अस्वीकार है। अकेले हीरसिह जी व उसके वारिसान इस जमीन के मालिक बनना चाहते है, खसरा नम्बर 239 की जमीन श्री हीरसिंह जी की खरीदसुदा होने का लिखीत में प्रतिवादी घनश्याम सिंह ने देने से इन्कार कर दिया, और यह कहा है कि यह जमीन गवरी देवी की खुद की खरीदसुदा है। इसलिए इस जमीन में आप अकेले मालिक नही हो सकते है, और अकेले अपने नाम व पुत्र के नाम म्यूटेशन नहीं करवा सकते है। पद संख्या 3 में लिखे तथ्य पूर्णतया गलत होने से विशिष्ट रुप से अस्वीकार है। जो दिनांक 18.07.2001 को गवरी देवी के जीवनकाल में जो शपथ पत्र हीरसिंह जी द्वारा अपने पक्ष में लिखवाया गया है वह गवरी देवी से धोखे से व बिना बताये लिखाया गया है। और केवल मात्र दो दिन अपने पास रखकर लिखवाया है, क्योंकि गवरी देवी घनश्याम सिह के पास ही रहती थी। उक्त शपथ पत्र गलत ढंग से लिखवाये जाने बाबत गवरी देवी ने अपने जीवन काल में शपथ पत्र का खंडन भी कर दिया था। और जिसकी जानकारी स्वयं हीरसिंह जी को थी। और उन्होने उस शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार भी किया है। उस शपथ पत्र को सिविल कोर्ट में पेश कर प्रदर्श करवाया। जो 18.07.2001 का जो शपथ पत्र पेश किया गया है, उसी आधार पर हक व अधिकार जताते है, जबकि उक्त दस्तावेज का खंडन में स्वयं हीरसिंह जी ने सिविल कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया है, अतः उक्त शपथ पत्र स्वतः ही प्रभावहीन व वेअसर हो चुका है इसके अलावा विकल्प में यह भी निवेदन है कि शपथ पत्र साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है, न ही रजिस्टर्ड दस्तावेज की श्रेणी में आता है, अतः उस आधार पर वादीगण किसी प्रकार [illegible] टाईटल क्लेम नही कर सकते है। पद संख्या 4 में लिखे तथ्य पूर्णत[illegible] वादीगण हीरसिंह जी के अकेले का टाईटल नहीं बनता है[illegible]केले को उक्त खसरा नम्बर की जमीन पर किसी प्रकार का ऋण सरकारी संस्था[illegible]र सरकारी संस्था से दिये जाने का कोई हक व अधिकार नहीं रहता है। पद संख्या 5 में लिखे तथ्य पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। उक्त जमीन में वादी हीरसिंह जी व प्रतिवादी घनश्याम सिह का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बराबर का हिस्सा है। और उक्त जमीन पर प्रतिवादी का भी कब्जा है। वादीगण जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता है न क्लेम कर सकता है। पद संख्या 6 में लिखे तथ्य पूर्णतया गलत होने से विशिष्ट रुप से अस्वीकार है। जमीन वादी व प्रतिवादी घनश्याम सिह के आधी आधी होने से आधी फसल काटकर लाने का प्रतिवादी घनश्याम सिंह को पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादी घनश्याम सिह अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है। पद संख्या 7 बिनाय दावा में बताया गया है। जो पूर्णतया गलत होनें से विशिष्ट रुप से अस्वीकार है। और कोई बिनाय दावा ही पैदा नहीं होता है। वादीगण का वाद काबिले खारिज के है। पद संख्या 8 में कोर्ट फीस से संबंधित है। जो अदालत चाला पारा विचारणीय है। पद संख्या 9 में इस्तदुआ की गई है। जिसमें जो वादीगण किसी सूरत में प्राप्त करने का अधिकारी नही है। गवरी देवी का नाम का नाम वर्ण नही किया जा सकता है और न ही जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के सहहिस्सेदार को या कोसेरर के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी नहीं की जा सकती है। वादीगण का बाद गय खर्च खारिज फरमावें। काउंटर क्लेम प्रतिवादी घनश्याम सिंह की ओर निम्न हैयह निविवाद तथ्य है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र के शीर्षक गोविन्दसिंह, नारायणसिंह, व धनश्याम सिंह को प्रतिवादी के रुप में पक्षकार बनाया है जिससे निर्विवाद रुप से यह तथ्य सावित है कि यादी हीरसिंह जी व प्रतिवादी धनश्याम सिंह, नारायण सिंह य गोविन्द सिंह गवरी देवी के विधीक उतराधीकारी है। यह निर्विवाद तथ्य है कि हीरसिंह जी ने जो अपने पक्ष में शपथ पत्र गवरी देवी का दिनांक 18,07.2001 को लिखवाया था उसका खंडन स्वयं गवरी देवी द्वारा अन्य शपथ पत्र के जरीये कर दिया गया है। उक्त गवरी देवी के नये वाले शपथ पत्र को सिविल कोर्ट में पेश कर हीरसिंह जी ने प्रदर्श करवाया है। उसमें अंकित तथ्यों को वादीगण हीरसिंह जी ने न्यायिक स्वीकृति के तहत एडमिट किया है। अतः न्यायिक एडमिशन से बढ़कर कोई सनस्वीकृति नही हो सकती है। गवरी देवी ने खसरा नम्बर 239 सरहद मौजा जैतारण आई जमीन वायत एक लिखत बंटवारे का लिख कर दे दिया है। और उस लिखत के आधार पर वादी हीरसिंह के लड़के महेन्द्र सिंह के नाम व प्रतिवादी घनश्याम सिंह गवरी देवी के वारिसान होने से, आधी आधी जमीन के म्यूटेशन भरवाने के अधिकारी है। यह घोषित करवाये कि खसरा नम्बर 239 में 1/2 हिस्से के खातेदार श्री घनश्याम सिंह है व 1/2 हिस्से के ही खातेदार हीरसिंह जी के पुत्र महेन्द्र सिंह हीरसिंह जी के वारिस होने से खसरा नम्बर 239/1 रकबा सवा 5 बीघा महेन्द्रसिंह को नाम पृथक से खाता खुलवाकर उसको तरमीम करने का आदेश तहसीलदार जीव पटवारी हल्का को दिलवायें। प्रतिवादी घनश्याम सिंह के खसरा नम्बर 239 में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करवाये। तथा धनश्याम सिंह के हिस्से की जमीन में कब्जेकास्त में दखलअंदाजी करने से वादीगण व उसके वारिसान को, नोकर चाकर, हाली एजेंट को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा के रुकवायें। वादीगण को खसरा नम्बर 239 की जमीन या उसके किसी हिस्से का, किसी तरह का बैचान करने से जरीये स्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा के लिये रुकवायें। अतः काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 239 सरहद मौजा जैतारण में सुखी की बेरी के पास यह जमीन आई हुई है। उक्त खसरा नम्बर 239 में 1/2 हिस्से के खातेदार होनें की घोषणा करवावे, वादी के नाम खसरा नम्बर 239/1 का खाता पृथक कर तरमीम का आदेश दिलवाने का निवेदन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 14.12.2020 के द्वारा निर्णय अन्तर्गत दफा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता मृतक वादी हीरसिंह एवं इनके कायम मुकामात् सुरज कँवर एवं सुरेन्द्र सिंह प्रकरण में आवश्यक एवं उचित पक्षकार नहीं होनें से इनका नाम वादपत्र से विलोपित किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादपत्र से सहमति जाहिर करनें तत्पश्चात् इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होनें, प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होनें तथा प्रतिवादी संख्या 03 एवं वादी द्वारा परस्पर राजीनामा निष्पादित कर देनें से प्रकरण में विवाद्यक विरचित किया जाना संभव एवं आवश्यक नहीं रहा।

प्रकरण में वादी महेन्द्रसिंह व प्रतिवादी घनश्याम सिंह द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे तस्दीक किया जाकर सामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी में वादी महेन्द्र सिंह द्वारा साक्ष्य शपथपत्र PW-1, जमाबन्दी सम्वत् 2056-2060 प्रदर्श-1, गवरी देवी की लिखत दिनांक 15.03.2005 प्रदर्श-2 है, गवरी देवी का शपथपत्र दिनांक 25.08.2002 प्रदर्श-3, वादी महेन्द्रसिंह के पिता हीरसिंह के हीरसिंह बनाम नगरपालिका जैतारण प्रकरण संख्या 31/1999 न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 जैतारण(पाली) में बयान गवाह की प्रमाणित प्रति प्रति प्रदर्श-4, वादी महेन्द्रसिंह के बयान के प्रमाणित प्रति प्रदर्श-5 है। प्रतिवादी साक्ष्य में प्रतिवादी घनश्याम सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र DW-1, राजीनामा दिनांक 11.08.2020 सुरेन्द्रसिंह बनाम घनश्याम सिंह वगैरा प्रदर्श-6, मूलवाद की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-7, ई.ओ. नगरपालिका जैतारण को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-8, सहमति पत्र प्रदर्श-9, महेन्द्रसिंह का शपथपत्र प्रदर्श-10, आपसी लिखत दिनांक 30.08.2012 प्रदर्श-11, गवरी देवी का MJM कोर्ट में प्रस्तुत शपथपत्र प्रदर्श-3 है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनते हुये उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर इस्तदुआ कि की वादग्रस्त आराजी ग्राम जैतारण के खसरां संख्या 239 रकबा 10-10 बीघा जो पिछले 35-36 साल से वादीगण के कब्जे काश्त में है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। उक्त जमीन माता जी के नाम खरीद कर उनके म्यूटेशन करवाई गई। माता जी श्रीमती गवरी देवी का स्वर्गवास 22.09.2007 को हो गया। माता जी ने शपथपत्र(नोटेरी से तस्दीकसुदा दिनांक 18.07.2001) वादी के पक्ष में लिख दिया कि मुतनाजा आराजी वादी की निजी एवं खरीदशुदा है। अतः वादग्रस्त आराजी में से स्वर्गीय माता जी का नाम हटाकर राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज कि जावें, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा के लिये रोका जावें तथा इस आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की जावें।

2. जमाबन्दी सम्वत् 2056-2060 ग्राम जैतारण के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 239 रकबा 10-10 बीघा खातेदार गवरी देवी पत्नी प्रतापसिंह पुरोहित सा0 बासनी के नाम दर्ज है। खातेदार गवरी देवी वादी हीरसिंह एवं प्रतिवादी गोविन्दसिंह, नारायणसिंह, एवं घनश्याम सिंह की माता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

3. ***हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, की धारा 14*** में यह विधिक प्रावधान है कि'' हिन्दु नारी की सम्पति उसकी आत्यन्तिकतः अपनी सम्पति होगीः-(1) हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर धारित की जायेगी।'' इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिन्दू नारी स्वयं द्वारा धारित सम्पत्ति का अपनी स्वेच्छा से व्ययन, हस्तान्तरण, एवं उपयोग-उपभोग के लिये पूर्णतः स्वतंत्र है एवं सक्षम होती है। वादग्रस्त आराजी भी हिन्दू नारी द्वारा धारित आराजी की श्रेणी में आती है।

4. प्रकरण में वादी महेन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह व प्रतिवादी घनश्याम सिंह द्वारा दिनांक 03.07.2020 को राजीनामा निष्पादित करते हुये यह कथन किया है कि दोनों परस्पर काका भतीज है, हीरसिंह जी ने अपने जीवनकाल में जमीन महेन्द्रसिंह के पक्ष में नाम करनें की सहमति न्यायालय में प्रदान कर चुके है। दोनों पक्षकारान् आपसी स्वप्रेरणा से प्रकरण को जरिये राजीनामा निस्तारित करनें का निवेदन कर रहे है विधि अनुसार स्वअर्जित जमीन को गवरी देवी को अपनी इच्छानुसार देनें का पूर्ण विधिवत अधिकार था और अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति को हीरसिंह जी के जीवन काल में ही महेन्द्रसिंह और घनश्याम सिंह को सवा पांच - सवा पांच बीघा जमीन जरिये लिखत के दे दी थी। लिखत की प्रति पेश है। अतः मुताबिक राजीनांमा वादपत्र डिक्री फरमावें।

5. साक्ष्य वादी में वादी महेन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह द्वारा शपथपत्र PW-1, में यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी मेरी दादी गवरी देवी की स्वअर्जित खरीदशुदा कृषि भूमि है तथा इन्हें इच्छानुसार इसे देनें का हकअधिकार था। यह जमीन मेरे पिता हीरसिंह की खरीदसुदा नहीं है। गवरी देवी ने अपने जीवनकाल में मुझे एवं मेरे चाचा घनश्यामसिंह प्रतिवादी संख्या 03 को यह जमीन आधी-आधी देनें का पारिवारिक लिखत दिनांक 15.03.2005 को लिखा है जो कि प्रदर्श-2 है। मेरें पिता ने गवरी देवी से एक शपथपत्र दिनांक 18.07.2001 को खसरा नम्बर 239 की जमीन हीरसिंह जी खरीदशुदा होनें का लिखवाया था तथा उक्त शपथपत्र गलत जानकारी, बिना सहमति से लिखवाने के कारण मेरी दादी गवरीदेवी दिनांक 25.08.2002 को नया शपथपत्र तस्दीक किया जिसे सही मानकर उक्त शपथपत्र को मेरे पिता ने मुकदमा नम्बर 31/99 हीरसिंह बनाम नगरपालिका जैतारण के प्रकरण में न्यायालय में प्रस्तुत किया जो प्रदर्श-3 है। सिविल कोर्ट में यह शपथपत्र प्रदर्श-41ए, मूल 41C है। जिसे में सही मानकर पाबन्द हूं। यह जमीन हीरसिंह जी की स्वअर्जित खरीदशुदा जमीन नहीं है। इसलिये स्वर्गीय हीरसिंह के अन्य वारिसान को खसरा संख्या 239 में हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमावें। जिरह के दौरान वादी द्वारा शपथ पत्र में अंकित कथनों से सहमति जाहिर कि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested

6. साक्ष्य प्रतिवादी शपथपत्र प्रतिवादी संख्या 03 घनश्याम सिंह DW-1 , में प्रतिवादी घनश्याम सिंह द्वारा वादी महेन्द्रसिंह द्वारा साक्ष्य शपथपत्र में प्रकट कथनों एवं उभयपक्ष द्वारा निष्पादित राजीनामां से सहमति जाहिर करते हुये माफिक राजीनामा वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। जिरह के दौरान प्रतिवादी द्वारा शपथ पत्र में अंकित कथनों से सहमति जाहिर कि।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

7. प्रदर्श–3–श्रीमती गवरी देवी पत्नी प्रतापसिंह निवासी बासनी ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जैतारण में प्रदर्श करवाये गये प्रदर्श–41ए, मूल 41C शपथपत्र जो दिनांक 25.08.2002 को नोटेरी सोजत सिटी द्वारा सत्यापित है। उक्त शपथ पत्र में श्रीमति गवरी देवी द्वारा पैरा संख्या 06 में यह कथन किया है कि– शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि हीरसिंह ने ब्राह्मण वाली जमीन बाबत् मेरे अगुष्ठे दस्तखत करवायें है, वो गलत है तथा धोखे से करवायें है।

8. प्रदर्श–2– श्रीमती गवरी देवी पत्नी प्रतापसिंह निवासी बासनी द्वारा शपथपत्र पर लिखत दिनांक 15.03.2005 में गवरी देवी द्वारा यह अभिकथन किया है कि "मेरी स्वअर्जित कमाई से मैनें व मेरे पति ने श्री रामाकिशन ब्राह्मण निवासी जैतारण से खसरा नम्बर 239 सरहद मौजा जैतारण रकबा साढ़े दस बीघा की कृषि भूमि खरीदी थी जिसकी खातेदारी मेरे नाम की है, उक्त जमीन खरीदनें में श्री हीरसिंह ने कोई रूपयां नहीं दिया। हीरसिंह ने मुझसे धोखे से खसरा नम्बर 239 की जमीन हीरसिंह की निजी होनें तथा उसके अकेले ने मातृत्व प्रेमवश मेरें नाम खरीद कर एक मिथ्या शपथपत्र दिनांक 18.07.2001 को नोटेरी से बिना मेरी सहमति से लिखवाया एवं बिना मुझे पढ़ाये और बिना सुनाये खुद के लाभ हेतु तस्दीक करवाया। मेनें उक्त शपथपत्र के लिये स्टाम्प हेतु कभी वकील वासुदेव चारण को नियुक्त नहीं किया था। उक्त शपथपत्र में लिखें तथ्य पूर्णतया गलत होनें उक्त शपथपत्र का में खण्डन करती हूं। उक्त शपथपथ प्रभावहीन एवं बेअसर रहेगा। उक्त गलत शपथपत्र से अकेला हीरसिंह खसरा नम्बर 239 का मालिक नहीं हो जाता है। जिस बाबत् भी मैनें पूर्व में शपथ पत्र वर्ष 2002 में लिखवाकर सोजत नोटेरी से तस्दीक करवाया था जिसमें लिखी बातें सही है। भविष्य में इस जमीन बाबत् विवाद नहीं हों उक्त खसरा नम्बर 239 मेरी स्वअर्जित सम्पति होनें से इस लिखत के जरिये महेन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह व घनश्याम सिंह के आधी आधी दोनों काका भतीज के सवा पांच – सवा पांच बीघा रहेगी। अन्य पुत्रों का कोई हक नहीं रहेगा।"

9. प्रदर्श–11:– आपसी लिखत श्री हीरसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति पुरोहित निवासी जैतारण बहक श्री घनश्यामसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह निवासी जैतारण आपसी पारिवारिक समझौता रूपी बंटवाड़ा अंकित करते हुये श्री घनश्याम सिंह एवं श्री हीरसिंह द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांक 30.08.2012 को निष्पादित आपसी लिखत जिसकी साख के रूप में ललित पंवार एडवोकेट सोजत के हस्ताक्षर है, के पैरा संख्या 05 में यह अंकित है कि "मुकदमा संख्या 91/97 उर्मिला बनाम जयसिंह के प्रकरण के चलते आरएफसी से तमाम विवाद समाप्त करनें घनश्याम सिंह की एन्जायोप्लास्टी के कारण नवम्बर 2012 में उर्मिला व घनश्याम ने वाद के लम्बित रखने के तमाम विधिक अधिकार सुरक्षित रखते हुये ***"पैसो से शान्ति खरीदी जा सकती है, तो महंगी नहीं है।"*** के आधार आर0एफ0सी0 को [illegible] दिया। इसी प्रकार पैरा संख्या 09 में अंकित किया है कि "सरहद मौजा [illegible] में खसरा संख्या 239 की साढ़े दस बीघा जमीन माता जी ने [illegible] खरीदी थी मैनें कोई रूपयां खरीद में नहीं दियां। मुझे हीरसिंह ने माता जी [illegible] शपथ पत्र जमीन मेरें द्वारा खरीदने व मेरी होनें बाबत् लिखवा कर श्री विजयराज से तस्दीक करवाया, वह शपथ बेअसर एवं प्रभावहीन रहेगा। माता जी गवरी देवी ने दूसरा सही तथ्यों का शपथपत्र वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested

2002 में लिखकर सोजत से नोटेरी करवायां उसे सही मानकर मैनें हीरसिंह बनाम नगरपालिका जैतारण प्रकरण में पेश कर प्रदर्श करवायां है। खसरा नम्बर 239 सरहद मौजा जैतारण की जमीन महेन्द्रसिंह एवं घनश्याम सिंह की आधी आधी रहेगी तथा वह अपने अपने नाम म्युटेशन आधे आधे हिस्से का करवा सकेगें। हीरसिंह बनाम गोविन्दसिंह का दावा मैंने महेन्द्रसिंह के नाम से किया है, वह राजीनामा कर डिक्री करवा देगें। अन्त में यह भी अंकित किया है कि ''आपसी सहमति से पारिवारिक समझौता रूपी बंटवाड़ा होनें से उसका पंजीयन जरूरी नहीं है जो वक्त जरूरत काम में आयेगा।'' इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त लिखत दिनांक 30.08.2012 जिसे उभयपक्षकारान् द्वारा पारिवारिक समझौता रूपी लिखत अंकित किया है में गवरी देवी के पुत्र हीरसिंह जो वादी के पिता है तथा मूल वाद में स्वयं पुत्र महेन्द्रसिंह के साथ वादी थे, द्वारा यह अभिस्वीकृती प्रदान की गई है कि वादग्रस्त आराजी उनकी माता गवरी देवी की स्वअर्जित है, जो कि उन्होनें अपनी कमाई से खरीदी हैं तथा उक्त वादग्रस्त आराजी को खरीदनें में मैनें कोई रूपयां नहीं दिया है। माताजी गवरी देवी द्वारा इस सम्बन्ध में वर्ष 2002 में जो शपथपत्र निष्पादित किया है वो मुझे स्वीकार है तथा उक्त आराजी महेन्द्रसिंह एवं घनश्यामसिंह को आधी आधी दे दी जावें। इस प्रकार न केवल हीरसिंह बल्कि हीरसिंह के वारिसान भी उक्त अभिस्वीकृती से बाध्य एवं सीमित है।

10. प्रदर्श-4:- वादी श्री हीरसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह के हीरसिंह बनाम नगरपालिका जैतारण प्रकरण संख्या 31/1999 न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 जैतारण(पाली) में बयान गवाह की प्रमाणित प्रति में हीरसिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष सशपथ यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श-41ए गवरी देवी का शपथपत्र है।

11. प्रदर्श-5 वादी महेन्द्रसिंह पुत्र श्री हीरसिंह के हीरसिंह बनाम नगरपालिका जैतारण प्रकरण संख्या 31/1999 न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 जैतारण(पाली) में प्रस्तुत शपथ पत्र के पैरा संख्या 04 में यह कथन किया है कि गवरी देवी ने जमीन व मकान बंटवाड़ा लिखा है जिससे हम पाबन्द है। मेरें पिता ने गवरी देवी का शपथपत्र भी प्रदर्शित करवाया है जो प्रदर्श-41B, जिसमें मेरी दादी ने भी जमीन के बंटवाड़ा बाबत् लिखा था।

12. हमनें हस्तगत प्रकरण से संगत माननीय न्यायालयों के अधोलिखित निर्णयों का ससम्मान अवलोकन करते हुये उनका हस्तगत प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन् के लिये बतौर नजीर अनुशीलन करते हुये मार्गदर्शन प्राप्त किया :-

1. **2016 (3) CCC 042 (KERALA)** (v) Evidence Act, 1872,S.17-***Admission-when an admission is made by a party during proceeding of a case, it is fully binding on that party which is a judicial admission.*** (para 9)
2. **CCC 2017 (1) P 846 Kashi lakshmi janki v/s Rangu panchariya**
   When a judicial admission made in the pleadings in any document regarding a particular fact issue such fact need not be proved by producing any evidence.
3. **2010(3) Civil Court cases P 800 (P&H)**
   Regular second Appeal No. 8[illegible] of 200[illegible], D/[illegible]2009
   Rajkali vs. Jitender
   Family settlement- ***`Family` has to be understood in a wider sense, so as to include within its fold, not only close relations, or legal heris, but even those persons, who may have some sort of antecedent title, a semblance, or a claim or even if they have spes succession so that future disputes are sealed for ever.*** (para 14)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested

Family settlement- ***Family arrangement may be even oral in which case no registration is necessary.*** (para 15)

4. **2010(1) Civil court cases P366 (s.c.)**
   Civil Appeal no. 8290of 2009@SLP(Civil) No.27909of2008), D/15-12-2009
   Family settlement- ***may be even oral in which case no registration is necessary registration is necessary only if the terms of family arrangement are reduced into writing- However, a memorandum prepared after the family arrangement which had already been made does not require registration.***

5. **2010(4) Civil court cases P 459 (P&H)**
   Regular second Appeal no. 1491 of 2010 (O&M), D/07-04-2010
   Sher singh vs. siri kishan
   Family Settlement- ***courts should accept family settlement to avoid dispute between family members- Family settlement must be a bona-fide one, so as to resolve family dispute and rival claims, by a fair and equitable division or allotment of properties between various members of the family.*** (Paras 25 and 27)

6. **2010(1) Civil court cases P 161 (A.P.)**
   Appeal Suit No. 22 of 2007, D/13-08-2009
   Zaheda Begum vs lal ahmed khan
   Family settlement- ***A family settlement can be among not only heirs of a particular class, but also can take in its fold, persons outside the purview of succession.*** (para 22)

7. ***RLR 1989(2) P 273***
   Rameshwar Prasad vs- Pratap Singh & ors .
   S-B- Civil Revision No- 375 of 1983. decided on 20th july 1988
   (b)C-P-C- 1908, 0-22-Rr- 4&5- ***A legal representative substituted under 0.22.R.4 cannot setup a new or individual right- He cannot take up a new or inconsistent plea or a plea contrary to one taken up by deceased ,***

8. Civil court cases 1993 (Suppl)P 81 (P & H)
   Mukhtiar singh vs- arjun singh Civil Procedure code, 1908] 0.23.R.3- ***court cannot refuse to pass decree as per the compromise on the ground that it is too favourable to one of the parites .***

a

9. RLR 1989(2) P. 273(S.C.) रामेश्वर प्रसाद बनाम प्रतापसिंह
   "A Legal Representaly Sub stituted/under 022 R4 Cannot Setup a New or Individual Right. He Cannot take up a New or incansistnat plea or a Plea Contrary to One Taken up by Deceased. "

इस प्रकार उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण के खसरा संख्या 239 रकबा 10-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल जो कि खातेदार गवरी देवी पत्नी प्रतापसिंह कौम- पुरोहित साकिन बासनी के नाम दर्ज है, खातेदार गवरी देवी स्वर्गीय वादी हीरसिंह, प्रतिवादी घनश्याम सिंह, गोविन्दसिंह एवं नारायण सिंह की माता तथा वादी महेन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह की दादी है। वादग्रस्त आराजी हिन्दू महिला द्वारा धारित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अनुसार हिन्दु महिला ऐसी सम्पत्ति की पूर्ण स्वामी होती है तथा वह स्वेच्छा से इसका व्ययन, हस्तान्तरण, एवं उपयोग-उपभोग के लिये पूर्णतः स्वतंत्र और सक्षम होने, खातेदार गवरी देवी द्वारा शपथपत्र पर दिनांक पारिवारिक लिखत दिनांक 15.03. 2005 के द्वारा वादी महेन्द्रसिंह एवं प्रतिवादी घनश्याम सिंह जो कि गवरी देवी के क्रमशः पौत्र एवं पुत्र है, को आधी-आधी अर्थात् सवा पाँच- सवा पाँच बीघा भूमि प्रदान किये जाने, उभयपक्षकारान् द्वारा इसी अनुरूप परस्पर दिनांक 03.07. 2020 को राजीनामा निष्पादित किया जानें, एवं राजीनामा विधि अनुरूप होनें से वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वादी बखूबी साबित होता है। प्रकरण खातेदार गवरी देवी द्वारा निष्पादित पारिवारिक लिखत दिनांक 15.03.2005, उभयपक्ष द्वारा दिनांक 03.07.2020 को निष्पादित राजीनामा एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के विधिक प्रावधानों से सुसंगता के आधार पर स्वीकार करते हुये वादग्रस्त आराजी की खातेदार गवरी देवी पत्नी स्वर्गीय प्रतापसिंह कौम- पुरोहित सा0 बासनी के स्थान पर वादी महेन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह एवं प्रतिवादी घनश्यामसिंह पुत्र प्रतापसिंह को आधी-आधी अर्थात् 05-05 बीघा, 05-05 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये इसी अनुरुप वादपत्र का डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-::आदेश::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा-88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खातेदार गवरी देवी द्वारा निष्पादित पारिवारिक लिखत दिनांक 15.03.2005, उभयपक्ष द्वारा दिनांक 03.07.2020 को निष्पादित राजीनामा एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के विधिक प्रावधानों से सुसंगता के आधार पर वाद बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार करते हुये वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में स्थित खसरा नम्बर 239 रकबा 10-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल की खातेदार गवरी देवी पत्नी स्वर्गीय प्रतापसिंह कौम- पुरोहित सा0 बासनी के स्थान पर वादी महेन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह एवं प्रतिवादी घनश्यामसिंह पुत्र प्रतापसिंह को आधी-आधी अर्थात् 05-05 बीघा, 05-05 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी कदर वादपत्र डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो, जो इस निर्णय भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 08/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादीगण ::–

1. महेन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह
   जाति– राजपुरोहित साकिन

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. गोविन्द सिंह पुत्र प्रतापसिंह
   राजपुरोहित साकिन– बासनी
   तहसील– रायपुर हाल– बापू विस्तार
   प्लॉट नं0 387 पाली।
2. नारायण सिंह पुत्र प्रतापसिंह
3. घनश्याम सिंह पुत्र प्रतापसिंह
   राजपुरोहित साकिन– बासनी
   तहसील– रायपुर जिला पाली।

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88</u>
<u>92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0:– 224/2008

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री घनश्यामसिंह पुरोहित, अधिवक्ता, प्रतिवादी. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खातेदार गवरी देवी द्वारा निष्पादित पारिवारिक लिखत दिनांक 15.03.2005, उभयपक्ष द्वारा दिनांक 03.07.2020 को निष्पादित राजीनामा एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के विधिक प्रावधानों से सुसंगता के आधार पर वाद बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार करते हुये वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में स्थित खसरा नम्बर 239 रकबा 10–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल की खातेदार गवरी देवी पत्नी स्वर्गीय प्रतापसिंह कौम– पुरोहित सा0 बासनी के स्थान पर वादी महेन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह एवं प्रतिवादी घनश्यामसिंह पुत्र प्रतापसिंह को आधी–आधी अर्थात् 05–05 बीघा, 05–05 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी कदर वादपत्र डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो, जो इस निर्णय भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–... ...फीस सदी सालाना आज की तारीख ....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत ...... आज तारीख 08/03/2021 को सर–ए–इजलास जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	07	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	03	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	01	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	06	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः-	18	00	मिजानः-	Nil	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested